न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 244/2013

वादीया :-

1. सज्जनकवंर पत्नी करणीदान
2. रंजना कंवर पुत्री करणीदान
3. तेजपाल पुत्र करणीदान
4. दशरतसिंह पुत्र करणीदान

जातियान-चारण, निवासी-बलून्दा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. करणीदान पुत्र खेमदान
   जाति चारण, निवास- बलून्दा
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
2. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
3. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.12/09/2013

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया एवं श्री प्रद्युमन श्रीमाली, अधिवक्तागण वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 12/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि वादिया प्रतिवादीगण संख्या 01 की वैवाहिक पत्नी हैं तथा वादीगण संख्या 02 से 04 प्रतिवादीगण संख्या 01 के पुत्र व पुत्रिया हैं। वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि राजस्व मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा, तहसील-जैतारण जिला-पाली में खसरा नम्बर 129, 131, 805 कुल खसरा 3 कुल रकबा 11-16 बीघा किस्म बा0अ0 एवं खसरा नम्बर 37, 38, 798, 799, 801, 803 कुल खसरा 5 कुल रकबा 3-12 बीघा किस्म गै0आ0, गै0मु0बाडा, गै.मु.बेरा, गै,मु,रास्ता उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी आई हुई हैं। जिसमें वादीगण के पति व पिता प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से जिस पर वादीगण का कब्जा व काश्त हैं। उक्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी हैं। जिसकी वंश वृक्षावली अनुसार खेमदान पुत्र चिमनदान के वारिसान साधुदान (फौत), लूणदान, सेणीदान, करणीदान, उदयसिंह हुए। उक्त वंश वृक्षावली अनुसार उक्त कृषि भूमि वादीगण संख्या 01 के ससूर व 02 से 04 के दादा के नाम से थीं व उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि बतौर वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम 1/5वां हिस्सा बतौर पुश्तैनी सम्पति के रूप में प्राप्त हुआ। उक्त वर्णित कृषि भूमि की खाता संख्या 491 में वादीगण का 1/5वां हिस्सा अपने पति के नाम से आता हैं व खाता संख्या 1253 में 1/2 हिस्से में से 1/5वां हिस्सा वादीगण के पति व पिता के नाम आता हैं। उक्त सम्पति प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पति नहीं होकर के पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसे प्रतिवादीगण केवल मात्र भोग सकता हैं। जिसे बेचान, बक्शीश, रहन, हस्तान्तरण आदि करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। क्योंकि उक्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आगे से आगे उनके वारिसान को कानूनन प्राप्त होती हैं। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 01 आदत नशा करने वाला व्यक्ति हैं व अपनी नशा पूर्ति के लिये उक्त भूमि वादीगण की इच्छा के विरुद्ध व बिना जायज जरुरत के बेचान करना चाहता है जो कानूनन विधि सम्मत नहीं हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 पूर्व में भी वादीगण को बिना बताये व बिना रूपया की जायज जरुरत के कृषि भूमि का बेचान कर चुका हैं व प्रतिवादी अपने परिवार के भरण पोषण के अधिकारों का निर्वहन नहीं कर रहा हैं। यदि उक्त भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 01 बेचान कर देता हैं तो वादीगण भूमिहीन हो जायेगें।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

व भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 17/07/2013 को वादीगण के पास आया व एलानिया धमकी दी कि तुम्हे मैं घर बदर कर दुंगा व शेष बची भूमि भी प्रतिवादीगण संख्या 02 के यहां जाकर के कौडीयो के दाम पर बेच दूंगा। जबकि वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 01 के परिवार को कोई रूपयों की जयाज जरुरत नहीं हैं। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सक्षम रह जाता तो वादीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। वादीगण संख्या 01 निर्बल व गरीब महिला हैं व वादीगण संख्या 02 से 04 नाबालिग बच्चे हैं, जो ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उन्हें उक्त भूमि से बेचान करने के लिये रोकने के लिये उक्त वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 17/07/2013 को उक्त भूमि रूपयो को बिना जायज जरुरत की व पुश्तैनी हैं। जिन्हें बेचने का कानूनन अधिकार प्रतिवादीगण संख्या 01 को नहीं हैं। बेचान करने की धमकी देने पर मौजा-बलून्दा में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार में पेश किया हैं।

वादी का वाद दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा में पेश हुई। शहादत वादी पेश करने हेतु वादी को समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद भी शहादत वादी पेश नहीं करने से वादी की शहादत वादी बन्द की जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त आराजी का कभी भी बेचान, रहन, वसीयत एवं अन्य हस्तान्तरण आदि नहीं करूँगा, जो सा0मि0 हैं। वादी राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी का 1/5वें हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं। चूँकि उक्त आराजी पैतृक व पुश्तैनी होने से वादीगण को नोशनल शेयर के हिस्से में दखलन्दाजी करने व भूमि के बेचान, रहन, वसीयत, अन्य हस्तान्तरण आदि करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादिया प्रतिवादीगण संख्या 01 की वैवाहिक पत्नी हैं तथा वादीगण संख्या 02 से 04 प्रतिवादीगण संख्या 01 के पुत्र व पुत्रिया हैं। वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि राजस्व मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा, तहसील-जैतारण जिला-पाली में खसरा नम्बर 129, 131, 805 कुल खसरा 3 कुल रकबा 11-16 बीघा किस्म बा0अ0 एवं खसरा नम्बर 37, 38, 798, 799, 801, 803 कुल खसरा 5 कुल रकबा 3-12 बीघा किस्म गै0आ0, गै0मु0बाडा, गै.मु.बेरा, गै,मु,रास्ता में वादीगण के नोशनल शेयर के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने व भूमि के बेचान, रहन, वसीयत, अन्य हस्तान्तरण आदि करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अ0 अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :–

बनाम

वादीया :–

1. सज्जनकवंर पत्नी करणीदान
2. रंजना कंवर पुत्री करणीदान
3. तेजपाल पुत्र करणीदान
4. दशरतसिंह पुत्र करणीदान

जातियान–चारण, निवासी–बलून्दा
तहसील–जैतारण (जिला–पाली)

प्रतिवादीगण :–

1. करणीदान पुत्र खोमदान
जाति चारण, निवास– बलून्दा
तहसील–जैतारण जिला–पाली
2. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
3. तहसीलदार, जैतारण

तहसील–जैतारण (जिला–पाली)

मु0न0 :रा0वा0स0:244/2013

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–......... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया एवं श्री प्रद्युमन श्रीमाली, अधिवक्तागण वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादिया प्रतिवादीगण संख्या 01 की वैवाहिक पत्नी हैं तथा वादीगण संख्या 02 से 04 प्रतिवादीगण संख्या 01 के पुत्र व पुत्रिया हैं। वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि राजस्व मौजा–बलून्दा, पटवार हल्का–बलून्दा, तहसील–जैतारण जिला–पाली में खसरा नम्बर 129, 131, 805 कुल खसरा 3 कुल रकबा 11–16 बीघा किस्म बा0अ0 एवं खसरा नम्बर 37, 38, 798, 799, 801, 803 कुल खसरा 5 कुल रकबा 3–12 बीघा किस्म गै0आ0, गै0मु0बाडा, गै.मु.बेरा, गै,मु,रास्ता में वादीगण के नोशनल शेयर के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने व भूमि के बेचान, रहन, वसीयत, अन्य हस्तान्तरण आदि करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....–....मुबलिक.....–....बाबत.....–....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....–....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....–.....को अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	05–00	मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जार्वे ।

Scanned by CamScanner